



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233829
CG-DL-E-03032022-233829

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 884]
No. 884]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2022/फाल्गुन 11, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2022/PHALGUNA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

का.आ. 914(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4758 (अ) दिनांक 16 नवंबर 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के रायगड जिले में NH66 (Old NH 17) के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 84.00 (पनवेल - इंदापुर सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "4 दिसम्बर 2021 " को "राम प्रहार" और "आपले साम्राज्य" (मराठी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ।

और सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रायगड जिले में NH 66 (Old NH 17) के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 84.00 (पनवेल - इंदोपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: रायगड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पनवेल				
	गांव का नाम: कर्नाळा				
1	154 / 3	निजी	बेट	0.018	रूपेश श्रीराम पाटील (१५४/३)
	तालुक का नाम: पेण				
	गांव का नाम: खारकोलेटी				
1	41 / 2	निजी	बेट	0.011	अनंत नारायण म्हात्रे (४१/२)
			कुल	0.029	

[फा. सं. NHAI/BOT-I/11013/18/2006, NHAI/BOT-I/11013/20/2007/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2022

S.O. 914(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 4758(E) dated 16 November 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 66 on the stretch of land from Km 0.00 to Km 84.00 (Panvel-Indapur section) in the district of RAIGAD in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Ram Prahar” and “Aaple Samrajya” (Marathi) both dated 4th December 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have not received by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling On NH66 in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 84.00 (Panvel - Indapur section) of NH66 in the district of RAIGAD in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		District: RAIGAD			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Panvel				
	Village: Karnala				
1	154 / 3	Private	WET	0.018	Rupesh Shriram Patil 154/3
	Taluk: Pen				
	Village: Khar Koleti				
1	41 / 2	Private	WET	0.011	Anant Narayan Mhatre 41/2
			TOTAL	0.029	

[F. No. NHAI/BOT-I/11013/18/2006,NHAI/BOT-I/11013/20/2007/3D]

RAJESH GUPTA, Director